भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

24 DEC 2012

आरबीई सं. 143/2012

सं. ई(पी एण्ड ए)। -2009/एसपी -1/जन-1 नई दिल्ली, दिनांक 13.12.2012

महाप्रबंधक NWR, जयपुर
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां.

विषय:-रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय टिकट जांच दस्ते में कार्यरत कर्मचारियों के संबध में स्वीकार्य विशेष भत्ते की दर में संशोधन।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 12.05.1981 का पत्र संख्या 81/टिकट चैकिंग/2/3

******

रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय टिकट जांच दस्ते में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य विशेष भत्ते की दर में संशोधन करने का मुद्दा कुछ समय से बोर्ड के विचाराधीन रहा है। अब यह विनिश्चय किया गया है कि केन्द्रीय टिकट जांच दस्ते में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में विशेष भत्ते की दर को 01.09.2008 से ग्रेड पे का ध्यान किए बिना मौजूदा दर से बढ़ाकर ₹ 200/- प्रतिमाह किया जाए।

2. जब भी कभी संशोधित वेतनमानों पर देय मंहगाई भत्ता बढ़कर 50% तक पहुंच जाएगा तो विशेष भत्ते की दर हर बार 25% बढ़ जाएगी।

3. 01.01.2011 से मंहगाई भत्ते की दर 51% हो गई है। अत: 01.01.2011 से विशेष भत्ते की संशोधित दर ₹ 250/- प्रतिमाह होगी।

4. इसे राष्ट्रपति जी की स्वीकृति प्राप्त है और इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

5. कृपया पावती दें।

(के. शंकर)
निदेशक ई(पी एण्ड ए)
रेलवे बोर्ड.

....2/- जारी

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय /MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड /RAILWAY BOARD)

****

RBE No.143/2012

No. E(P&A)I-2009/SP-1/Genl-1 New Delhi dated13.12.2012.

The General Managers,
All Indian Railways and Production Units.

Sub: Revision in the rate of Special Allowance in respect of staff working in Central Ticket Checking Squad of Railway Board.

Ref: Board's letter No. 81/Ticket Checking/2/3 dated 12.05.1981.

*****

The issue of revision in the rate of Special Allowance admissible to staff working in the Central Ticket Checking Squad of Railway Board has been under consideration of the Board for quite some time. It has now been decided to enhance the rate of Special Allowance in respect of staff working in Central Ticket Checking Staff from the existing rates to Rs.200/-p.m. irrespective of Grade Pay w.e.f. 01.09.2008.

2. The rates of the Special Allowance would increase by 25% every time the Dearness Allowance payable on revised pay scales goes up by 50%.

3. The rate of DA was enhanced to 51% from 01.01.2011. As such the revised rate of Special Allowance from 01.01.2011 would be Rs.250/-p.m.

4. This has the sanction of the President and issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Kindly acknowledge receipt.

(K. Shankar),
Director E(P&A),
Railway Board.

Contd...2/-